मूलचंद को अब नज़र आईं, सड़क....

पेज एक का शेष

लगता है जैसे यहां काम नहीं रोना-पीटना चल रहा है। बीते 46 दिन से नीलम पुल की एक साइड बंद है। इसके चार पिलर तो नगर निगम के हरामखोरों एवं रिश्वतखोरों की वजह से आग में जल गये थे, उसकी मुरम्मत का काम अभी तक चालू नहीं हो सका है। बीते दसियों दिन से बताया जा रहा है कि 24 लाख का टेंडर तैयार हो चुका है, परन्तु काम जहां का तहां पड़ा है। कोई किसी को पूछने वाला नहीं जबकि शहर में एक केन्द्रीय मंत्री एक हरियाणा सरकार का मंत्री तीन भाजपाई विधायक मौजूद हैं, पता नहीं उन्हें इसके निरीक्षण करने की फुर्सत कब मिलेगी ? शहरवासी दुखी होते हैं तो होते रहें, उनकी बला से।

निर्माण कार्यों की खुली लूट

आये दिन कोई न कोई मंत्री निर्माण कार्य का शुभारम्भ करने के लिये नारियल फ़ोड़ते हुए बताता है कि पांच करोड़ या दो करोड़ (या ऐसी कोई रकम) से यह सड़क अथवा सीवर आदि का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह मुख्यमंत्री खट्टर भी सैंकड़ों करोड़ के विकास कार्यों का ढोल पीटते नज़र आते हैं। परन्तु इतना खर्च करने के बावजूद धरातल पर कुछ खास नज़र नहीं आता। हां यदि कहीं कुछ नज़र आ भी जाये तो वह कुछ समय बाद ही गायब भी हो जाता है, यानी सड़क बनी तो वह गायब, सीवर बना तो वह बंद, ट्यूबवैल लगा तो वह ठप्प, बिल्डिंग या पुलिया बनी तो वह धराशायी। आखिर यह सब क्या है ?

यह नासमझ जनता को मूर्ख बनाने भर का स्वांग है। किसी भी टेंडर का 48 प्रतिशत भी काम पर खर्च नहीं हो पाता। इसे यूं समझिये कि एक करोड़ के किसी टेंडर को स्वीकृति प्रदान करने वाले उच्चतम अधिकारी का कमीशन 13 प्रतिशत उसके बाद चीफ़ इन्जीनियर एसई,एक्स ईयन, एसडीओ, जेई आदि सबका पांच प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक और अन्त में चेक काटने वाली एकाउंट एवं फ़ाइनेंस ब्रांच का कमीशन भी पांच प्रतिशत से कम नहीं रहता। इन सबके अलावा 18 प्रतिशत जीएसटी काटना तो सरकारी कानून है। सब मिला कर नेता जी ने जिस एक करोड़ के काम कराने का नारियल फ़ोड़ा था, उसका मात्र 48 प्रतिशत यानी 48 लाख ही निर्माण स्थल तक पहुंचता है। इसमें से अब वह ठेकेदार भी तो कुछ खायेगा उसे भी तो परिवार का भरण-पोषण करना है इतना ही नहीं महीनों बल्कि बरसों तक ठेकेदार को जो पेमेंट नहीं मिलती उसका ब्याज ठेकेदार कहां से भरेगा ?

सौ बातों की एक बात, तेल तो तिलों में से ही निकलेगा। ठेकेदार यह सारी वसूली निर्माण पर लगाने वाले माल से करता है। इसी तकनीक का कमाल है कि एक सड़क बनती नहीं कि दो टूट जाती हैं और यह सिलसिला चलता रहता है जनता भुगतती रहती है, अफ़सर व नेता मलाई खाते रहते हैं। इन्हीं हालात के लिये कहा गया है कि 'अंधी पीस रही है और कुत्ते चाट रहे हैं।'

एमसीएफ ने बैंक पर लगाया ताला.....

पेज एक का शेष

बैंक पर ताला लगाने की कार्रवाई देखने में जितना सामान्य और सरकारी कार्रवाई लग रही है उतना है नहीं।

छानबीन से पता चला कि नगर निगम ने अपने जिस मामूली हिस्से को बैंक के हवाले किया था, उसे सौ रूपये की लीज पर दिया था। एमसीएफ जब नगर निगम नहीं था और जब यहाँ पर ऐडमिनिस्ट्रेटर राज चलता था तब से लेकर अभी तक इसे लेकर कोई समस्या नहीं आई थी। लेकिन संयुक्त आयुक्त प्रशांत अटकान की नज़र जब इस बैंक पर पड़ी तो मानों बैंक पर आफ़त ही आ गई।

उन्होंने इसके किराये व प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में सूचनाएँ माँगीं। यहाँ तक कि बैंक की बिजली कहाँ से मिल रही है, इसकी भी जानकारी उन्होंने जुटाई।

इस तरह बैंक पर एक करोड़ की देनदारियाँ अटकान ने निकाल दीं। नोटिस जाने लगे और आख़िरकार इसी मंगलवार को संयुक्त आयुक्त के निर्देश पर यहाँ ताला लगा दिया गया।

पर्दे के पीछे क्या है

सूत्रों का कहना है कि किसी अधिकारी ने इस बैंक से लोन माँगा था। लेकिन बैंक ने नामंजूर कर दिया। यह भी बताया जाता है कि एक अधिकारी का क्रेडिट कार्ड बिल का मामला भी बैंक में फँस गया है। कंगाली का सामना कर रहे एमसीएफ को ऐसे में अपनी एक करोड़ की लेनदारी याद आ गई और उसने कार्रवाई कर दी।

नगर निगम के कुछ वर्तमान और कुछ पूर्व कर्मचारी नेताओं का कहना है कि एमसीएफ के अफ़सर अपना काम निकालने के लिए सारे कर्मचारियों को परेशानी में डाल रहे हैं। बैंक को यह जगह नगर निगम के अफ़सरों ने बुलाकर दी थी। बैंक यहाँ चलकर नहीं आया था। कर्मचारियों की सुविधा के लिए पुराने अफ़सरों ने मात्र सौ रूपये के लीज़ पर ब्रांच खुलवाई थी। ताली दोनों हाथों से बजती है लेकिन एमसीएफ के अफ़सर एक हाथ से बजाना चाहते हैं। अगर बैंक एमसीएफ के कैंपस से चला गया तो कर्मचारियों के लिए काफ़ी दिक्क़त खड़ी होने वाली है।

इस संबंध में बैंक के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन नहीं उठाया गया।

हरियाणा में गुंडाराज : सोनीपत में समाजसेवी की पिटाई

सोनीपत (ममो) : आम आदमी पार्टी से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता विमल किशोर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। गलत के खिलाफ खड़े होने का खामियाजा उन्हें भाजपा सरकार में ऐसे भुगतना पड़ा कि बदमाशों ने लोहे की रॉड से उन पर जानलेवा हमला किया। उनकी हालत अभी तक बहुत गंभीर बनी हुयी है। 26 नवंबर की रात को सोनीपत में विमल किशोर पर बदमाशों ने हमला किया। उनके सिर और शरीर पर जगह-जगह लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार किये गये। जानकारी के मुताबिक उन पर हमला करने वाला व्यक्ति वह है जिसके अवैध फाइनेंस के धंधे का खुलासा विमल किशोर ने कुछ दिन पहले किया था। विमल किशोर ने अवैध फाइनेंसरों के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है, जिसके चलते कई अवैध धंधेबाजों का धंधा चौपट हुआ था।

अवैध तरीके से फाइनेंस का काम करने वाले एक नामी बदमाश और उसके गुर्गों ने जान से मारने के इरादे से विमल किशोर पर हमला किया था। गौरतलब है कि आरोपी बदमाश अवैध रूप से फाइनेंसर का काम करता है जो कि कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग और उसके बेटे को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा था। विमल किशोर ने पीड़ितों की मदद करते हुए पुलिस में गुंडों की शिकायत की और कुछ दिन पहले ही बदमाश को बंद करवाया था, उसी का बदला लेने के लिए बदमाशों ने अपने साथियों सहित लोहे की रॉड से विमल किशोर पर जानलेवा हमला किया है।

हरियाणा की कानून व्यवस्था का हाल इसी से जान सकते हैं कि विमल किशोर सोनीपत के नामी समाजसेवी हैं और बुटाना गैंगरेप के मामले को अपने स्तर पर उठाये रखने का श्रेय भी काफी हद तक विमल को जाता है। पाठकों को बताते चलें कि बुटाना रेप केस में 12 पुलिस कर्मियों द्वारा एक नाबालिग लड़की का पुलिस थाने में चार दिन तक बलात्कार और फिर उसे पुलिस वालों की हत्या के आरोप में जेल भेजने का वहशी खेल खुद प्रशासन द्वारा खेला गया। इस मामले में विमल किशोर और उनके साथियों ने कई महीनो तक प्रशासन का घेराव किया और मजदूर मोर्चा द्वारा मामले को उठाने के बाद अंतत मामला हाईकोर्ट पहुंचा। जानलेवा हमले में विमल किशोर की हाथ-पैरों की हड्डियां टूट गई हैं और हालत नाजुक होने के चलते सोनीपत सिविल अस्पताल से पीजीआई रोहतक रेफर किया गया था। अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुयी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार विमल किशोर पर हमला हो चुका है।

गतांक की चीर-फ़ाड़

लव जिहाद कानून से प्रशासनिक अविश्वास बढ़ेगा

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

बल्लबगढ के कॉलेज की छात्रा निकिता तोमर की तौसीफ़ द्वारा की गई हत्या के बाद भाजपा शासित राज्यों की सरकारें 'लव जिहाद' के विरुद्ध कड़ा कानून बनाने के लिये आतुर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2018 में हादिया केस में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यवस्था दी थी कि हर बालिग को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने व धर्म अपनाने का अधिकार निजी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का मामला है। इसके बावजूद यूपी की योगी सरकार ने अन्तरधार्मिक विवाह को रोकने के लिये एक अध्यादेश जारी कर दिया। 'लव जिहाद कानून से प्रशासनिक अविश्वास बढ़ेगा' तथा 'लव जिहाद कानून पर मुस्लिम कट्टरपंथी क्यों खुश हैं.... चौंकिये नहीं' में लव जिहाद के विरुद्ध कानून के सामाजिक, प्रशासनिक व धार्मिक पक्षों का सटीक विश्लेषण किया गया है।

मज़दूर मोर्चा के 29 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक के अंक में कोरोना आपदा से बने हालात का फ़ायदा उठाकर मोदी सरकार द्वारा किसानों, मज़दूरों व आम लोगों के हितों के विपरीत कॉरपोरेट घरानों, उद्योगपतियों, पूंजीपतियों व बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिये बनाए गए कानूनों व निर्णयों सम्बन्धित मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार व लेख प्रकाशित हुए हैं। कृषि सुधार के नाम पर पारित तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ़ जबरदस्त आशंका और विरोध के कारण दिल्ली कूच को निकले पंजाब और हरियाणा के किसानों पर हरियाणा पुलिस व पैरा मिलिट्री फोर्स ने उनके साथ अभद्र व दमनकारी व्यवहार किया। सड़कें खोदी, लाठी चार्ज किया, कंपकपाती ठंड में वाटर कैनन से ठंडे पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके विरोध में यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्यप्रदेश आदि के किसान भी आंदोलनकारी किसानों के साथ लामबंद हो गए।

महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक के किसान भी इन कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस तथा मोदी सरकार समेत अन्य भाजपा सरकारों और मोदी सरकार की पैरोकार मीडिया द्वारा इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिये इसे कांग्रेस द्वारा बरगलाने व भ्रमित करने और भड़काने तथा खालिस्तानियों व माओवादियों द्वारा उकसाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। 'किसानों से युद्ध लड़ रही है मोदी-खट्टर सरकार, आधी रात को हाईवे खोदा, अन्नदाता पर पानी की बौछारें- हरियाणा-पंजाब के बाद अब यूपी के किसान भी दिल्ली कूच के लिये हुए लामबंद' में मोदी सरकार व खट्टर सरकार के किसान विरोधी कार्यों का पर्दाफ़ाश किया गया है।

गौरतलब है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए दिल्ली आकर केन्द्र सरकार से अपनी मांगे मनवाना किसानों का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मोदी सरकार और खट्टर सरकार ने सरकार और किसानों की स्थिति भारत और पाकिस्तान की तरह बना दी है और अपने ही देश के अहिंसक आंदोलनकारी किसानों के साथ आतंकवादियों और दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है।

ध्यान रहे कि यूपी सरकार ने उक्त अध्यादेश जारी करके संवैधानिक व्यवस्था व सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित न्याय संहिता का उल्लंघन किया है तथा संघ परिवार व भाजपा सरकारों की ये कोशिशें नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन चयन की संवैधानिक निजी स्वतंत्रता के अधिकार को दोयम बना रही हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा बड़े कॉरपोरेट व औद्योगिक घरानों को बैंक्रिग लाइसेंस देने की सिफ़ारिश से वित्तीय हलके में विवाद खड़ा हो गया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य, अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स तथा अन्य विशेषज्ञों ने इस सिफ़ारिश को भारी विनाशकारी बताते हुए कहा है कि इससे देश की आर्थिक और राजनीतिक ताकत कुछ कॉरपोरेट घरानों के हाथ में पहुंच जायेगी। 'कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस क्यों' में कारपोरेट/औद्योगिक घरानों को मोदी सरकार की बैंकिंग लाइसेंस देने की नीति के खतरों को बेनकाब किया गया है।

स्मरण रहे कि 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरागांधी ने बैंकों पर औद्योगिक घरानों का नियंत्रण समाप्त करने के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जिससे आम आदमी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सके। लेकिन अब मोदी सरकार उन कारपोरेट/औद्योगिक घरानों को बैंक सौंपने जा रही है, जिन्हें बैंकों से बड़ी मात्रा में लोन लेना है।

पीएम उदय योजना के तहत दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने के लिये ज़मीन की पैमाइश निजी एजेंसियां करेगी जो जमीन मालिक से पैमाइश शुल्क लेगी। इसी तरह इंडियन ऑयल की इंडेन कंपनी की इंडेन गैस के उपभोक्ताओं के घर-घर जाकर निजी कंपनी पाईप, चूल्हा और रेगुलेटर की हालत का सर्वे करने का शुल्क अपभोक्ताओं से वसूलेगी। 'जनता को लव जिहाद में फंसाकर सरकार जेब काटने में लगी' तथा 'मोदी की योजना में निजी कंपनियों का फ़ायदा ही फ़ायदा' में मोदी सरकार द्वारा निजी कम्पनियों को मुनाफ़ा पहुंचाने की नीति को उजागर किया गया है।